न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या 44/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर

— आवेदक—

बनाम

1. श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सूरजनारायण गुप्ता (विक्रेता एवं मालिक)
   मैसर्स कौशल इण्डस्ट्रीज, एच—1—41—46, रीको इण्ड0 एरिया, सोमनाथ नगर दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: श्री विक्रम शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः—29.06.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री श्याम सुन्दर द्वारा दिनांक 3.1.2017 से कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जयपुर जोन जयपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना कमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.11 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक एच/एफएसएसए/(एफ—28) नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 तथा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना कार्य क्षेत्र दिनांक 10.02.2012 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जयपुर जोंन जयपुर आंवटित किया गया है और जोन जयपुर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 3.1.2017 को 01:15 पी.एम. पर मैसर्स कौशल इण्डस्ट्रीज, एच—1—41—46, रीको इण्ड0 एरिया, सोमनाथ नगर दौसा पर श्री दीपक कुमार सिंधी के साथ पहुंचा। वहां पर श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सूरजनारायण गुप्ता उपस्थित थे। श्री राकेश कुमार गुप्ता को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री राकेश कुमार गुप्ता ने स्वयं को मैसर्स कौशल इण्डस्ट्रीज, एच—1—41—46, रीको इण्ड0 एरिया, सोमनाथ नगर दौसा का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री राकेश कुमार गुप्ता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं फर्म का वेट—03 की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की गई।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स कौशल इण्डस्ट्रीज, एच—1—41—46, रीको इण्ड0 एरिया, सोमनाथ नगर दौसा का निरीक्षण करने पर विक्रेता की निर्माण ईकाई में लगभग 150 प्लास्टिक के कट्टे (प्रत्येक कट्टे में 50 किलो) में बूरा (लूज) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमे गुणवत्ता में कमी का अन्देशा होने पर एक प्लास्टिक कट्टे में से वास्ते नमूना जांच हेतु एक किलो बूरा (लूज) खरीद कर उसकी कीमत 40/—रूपये विक्रेता श्री राकेश कुमार गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री राकेश कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा।

रामबाबू प्रजापत तथा श्री दीपक कुमार सिंधी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने से पहले मौके पर फार्म सं0 5ए की दो प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री राकेश कुमार गुप्ता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा उपस्थिति गवाहान श्री रामबाबू प्रजापत तथा श्री दीपक कुमार सिंधी के हस्ताक्षर करवाये। फार्म सं0 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री राकेश कुमार गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा एक किलो बूरा (लूज) को चार अलग अलग बोतलों में बराबर–बराबर डालकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतलों पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर के कोड एवं क्रमांक AC-1272 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 AC-1272 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना बोतलों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्द रिपोर्ट मौके पर तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढाकर सुनाकर एवं समझाकार हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री राकेश कुमार गुप्ता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं उपस्थित गवाहान ने भी फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुंच कर फार्म नं. 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जयपुर राज0 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म स0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/ 15 दिनांक 19.01.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर राज0 से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एलएस/7/एक्ट/2017/72 दिनांक 17.01.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बूरा (लूज) खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने का श्रम करे।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा।

प्रकरण संख्या 44/2017 एफ एस एस एक्ट

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित हुआ एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ बूरा (लूज) के सैम्पल की जॉच दिनांक 17.1.2017 को स्टेट प्रयोगशाला से की गई है जिसमे कोई मिलावट नहीं पाई गई है केवल मात्र फोरेन मेटर की मात्रा की अधिकता बताई गई है। जबकि प्रकरण में जप्तशुदा माल बूरा में "फोरेन मेटर" की मात्रा में जो जॉच की जाती है उसके अनुसार जॉच रिपोर्ट मे जॉच सही है। लेकिन फॉरेन मेटर में किस तत्व की जॉच की गई एवं उसके क्या प्रभाव है उस तथ्य को रिपोर्ट में अंकित नहीं किया। रिपोर्ट में सैम्पल में एक ओर बूरा (लूज) दिखाया गया है एवं एक ओर **"Sweetening agents including honey"** दिखाया गया है जिससे रिपोर्ट संदेहास्पद हो जाती है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या सं0 एलएस/7/एक्ट/2017/72 दिनांक 17.01.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बूरा (लूज) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सूरजनारायण गुप्ता द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ बूरा (लूज) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सूरजनारायण गुप्ता (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स कौशल इण्डस्ट्रीज, एच–1–41–46, रीको इण्ड0 एरिया, सोमनाथ नगर दौसा पर 10000/– (अक्षरे दस हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 29.6..2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कमांक/ 10055-10058

दिनांकः– 5.7.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जयपुर जोन जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
4. श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सूरजनारायण गुप्ता (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स कौशल इण्डस्ट्रीज, एच–1–41–46, रीको इण्ड0 एरिया, सोमनाथ नगर दौसा

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा